

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक  
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-अति. मु.न.नि./रा.आ.म./जयपुर/2014-15/१४

दिनांक: 09-05-2014

श्री अनिल मण्डोट, विमल चन्द बिनाकिया,  
डी-3, रमन मार्ग, तिलक नगर,  
जयपुर।

विषय :-पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 111/148 से 111/154 व 111/158 से 111/161 प्रताप नगर,  
सांगानेर, जयपुर पर बहुमंजिले आवासीय प्लैट्स के मानचित्र अनुमोदन बाबत।

महोदय,

1. उक्त स्वीकृति जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2010 संशोधन के तहत जारी की गई है।
2. उक्त स्वीकृति जारी दिनांक से जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम-2010 की धारा 14.10 के अनुसार 7 (सात) वर्ष के लिये मान्य होगी।
3. इस निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा और न ही इसमें किसी के स्वामित्व संबंधी अधिकार ही प्रभावित होंगे एवं विवादित स्वामित्व की भूमि पर दिये गये निर्माण स्वीकृति के लिए राजस्थान आवासन मण्डल जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि निर्माण स्वीकृति केवल मात्र प्रश्नगत भूमि पर क्या निर्माण किया जा सकता है, अथवा अनुज्ञेय है, यही दर्शाता है।
4. भवन निर्माण में निर्धारित मानदण्डों के उल्लंघन होने या निर्माण मानक स्तर के अनुरूप नहीं होने पर निर्माण को रोका जा सकता है। इसे आंशिक या पूर्ण रूप ध्वस्त कराया जा सकेगा एवं ऐसे समस्त निर्माण की जिम्मेदारी अनुज्ञाधारी की होगी।
5. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त होने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।
6. विद्युत सेवा हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड इण्डिया के आबंधों में वर्णित प्रावधानों का पालन आवश्यक होगा।
7. नलकारी एवं जल, मल-निकास सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुरूप होगी।
8. अनुमोदनानुसार वर्षा जल संग्रहण यूनिट मौके पर वास्तव में आप द्वारा लगाई जावेगी।
9. अनुमोदनानुसार सौर ऊर्जा उपकरण सिस्टम मौके पर वास्तव में आप द्वारा लगाया जावेगा।
10. भवन निर्माण में आंतरिक मानदण्ड बाबत में जिन विषयों पर ब्यौरा यहाँ नहीं दिया गया है। उन बाबत मानदण्ड नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होंगे।
11. भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सुरक्षा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने की जिम्मेदारी भवन निर्माता की होगी।
12. आवेदक स्वयं की यह जिम्मेदारी होगी कि उनके द्वारा भवन विनियमों के समस्त संबंधित प्रावधानों की पालना भवन निर्माण के दौरान की जा रही है, अन्यथा यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
13. अनुमोदित मानचित्रों में जिस भान को पार्किंग हेतु अनुमोदित किया है आप द्वारा किसी को बेचा नहीं जावेगा एवं केवल पार्किंग हेतु उपयोग में लिया जावेगा। इस का पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग पाने पर राजस्थान आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के तोड़ने का

12

हकदार होगा एवं तोड़ने का हर्जा खर्चा जिस व्यक्ति ने पार्किंग के अलावा उपयोग किया है से वसूला जा सकता है। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर राजस्थान आवासन मण्डल हर्जा खर्चा वसूलने एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही जैसे आर्थिक दण्ड कर सकता है एवं आप देने के लिए बाध्य रहेंगे।

14. प्रार्थी अनुमोदित मानचित्रों की प्रति निर्माण स्थल पर बोर्ड पर चस्पा कर प्रदर्शित करेगा। साथ ही वास्तुविद्, भवन मालिक व ठेकेदार का नाम भी अंकित करेगा। यदि भवन निर्माण के समय मौके पर उक्त वर्णित डिस्प्ले नहीं है तो संबंधित उप आवासन आयुक्त द्वारा निर्माण कार्य तुरन्त प्रभाव से रूकवा दिया जावे।
15. निदेशालय, स्थानीय निकाय के पत्र क्रमांक एफ 55 (22) पीए/एस.ई./डीएलबी/05/आपदा/18726 दिनांक 18.05.05 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार भूकम्परोधी भवन बनाने की जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी। दिशा-निर्देशों की प्रति संलग्न है।
16. प्रत्येक 100.00 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो 6.00 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई ग्रहण कर सकते हो लगाने होंगे।

संलग्न :- अनुमोदित भवन मानचित्र का एक सैट

भवदीय

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक  
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

प्रतिलिपी:-

1. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

अनुमोदित भवन मानचित्रों का एक सैट संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया सुनिश्चित करें कि भवन निर्माण अनुमोदित मानचित्रों के अनुसार हों।

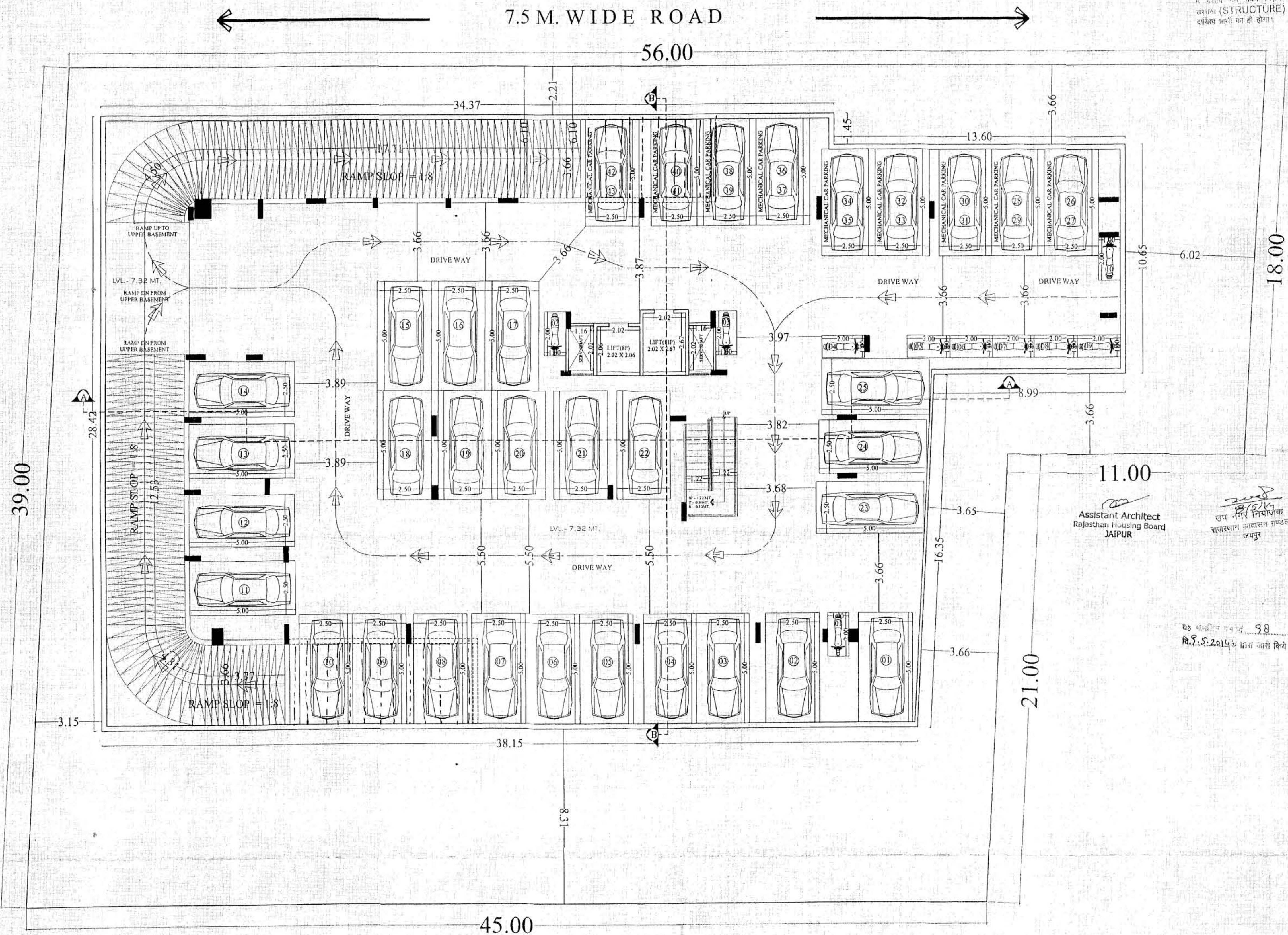
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक



## NOTE:-

1. FIRE N.O.C. ISSUE VIDE DATE 6/9/14  
LETTER NO. F9(65) आ.फा./ न न ज /14/2732. AIRPORT N.O.C. ISSUE VIDE DATE 28/2/14  
LETTER NO. AA/N.O.C.2013/320/4875-80सीर ऊर्जा से पानी गरम करने का  
नियमानुसार प्रावधान किया जाये।इस मकान के अन्दर किसी भी भाग  
पर अग्नि सुरक्षा का प्रावधान नहीं  
किया जाये। इस मकान के अन्दर  
किसी भी भाग पर अग्नि सुरक्षा का  
प्रावधान नहीं किया जाये।भारतीय रेल से निकलने वाली रेलों के  
लिए विशेष चुकिया का प्रावधान नियमानुसार  
किया जाये।THESE PLANS ARE VALID  
ONLY UP TO SEVEN YEARS  
FROM DATE OF ISSUE.1. इस मकान के अन्दर से अधिक ऊँचाई होने  
के कारण अग्नि सुरक्षा का प्रावधान  
किया जाये।  
2. इस मकान के अन्दर से अधिक ऊँचाई होने  
के कारण अग्नि सुरक्षा का प्रावधान  
किया जाये।  
3. इस मकान के अन्दर से अधिक ऊँचाई होने  
के कारण अग्नि सुरक्षा का प्रावधान  
किया जाये।Ramp Water  
Shall be provided as per Rules

अनुमोदित, नियमबद्ध

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल  
कारों के लिए किया जावेगा।Adequate Light and Ventilation  
to be Provided as per N. B. C.  
Norms.मिदुल सेवा के अन्तर्गत इस मकान के विकास सेक्टर  
में गंगा नदी, गंगा और गंगा के उपनदी के  
अन्तर्गत होनीजो भी भूखण्ड में अनुमोदित मानचित्र  
में दर्शाया गया भूखण्ड की  
संरचना (STRUCTURE) का  
वास्तविक प्रतीक का ही होगा।Assistant Architect  
Rajasthan Housing Board  
JAIPURराजस्थान नगर निगम  
राजस्थान आवासन मण्डल  
जयपुरराजस्थान नगर निगम  
राजस्थान आवासन मण्डल  
जयपुरअतिरिक्त मुख्य नगर निगम  
राजस्थान आवासन मण्डल  
जयपुरयह योजना न. नं. 98  
दि. 5.5.2014 के द्वारा जारी किया गया।DRAWING TITLE:-  
LOWER BASEMENT FLOOR PLAN

SITE ADDRESS:-

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT  
"THE ELEGANCE AT P.NO.111/148 - 161  
PRATAP NAGAR, SANGANER JAIPUR

PROJECT CONSULTANTS

(11, BHIMNATH NAGAR, T.109, BHIMNATH, JAIPUR  
PHONE: 0141-2062137)

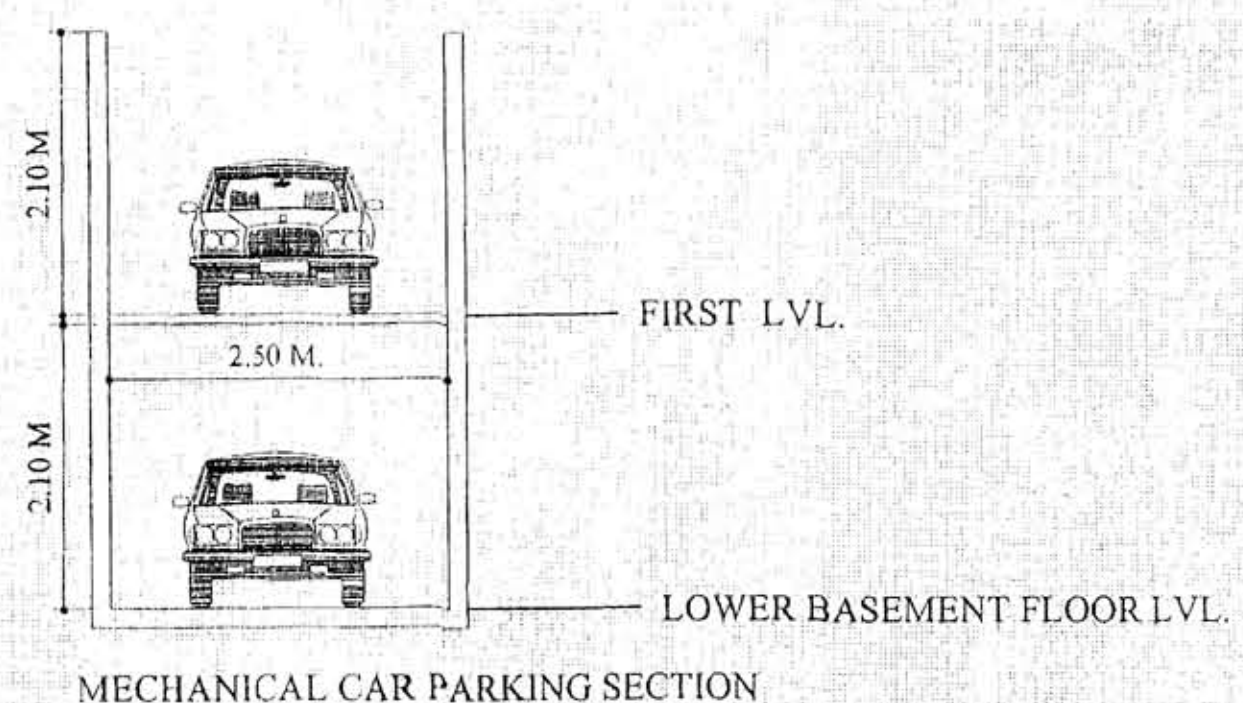
SCALE 1:100

NORTH POINT  
S  
E  
N

  
GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT  
Architect  
CA/19722030

OWNER

ARCHITECT



MECHANICAL CAR PARKING SECTION

1. FIRE N.O.C ISSUE VIDE DATE 6/5/14  
LETTER NO. F9(85) आफ्ता/ न नि ज /14/273

2. AIRPORT N.O.C ISSUE VIDE DATE-28/2/14  
LETTER NO. AA1/N.O.C/2013/320/4875-80

Adequate Light and Ventilation  
to be Provided as per N. B. C.  
Norms.

जोश किये गये अनुपादित मानद्वि  
में दर्शाये गये स्तंभ निर्माण की  
संरचना (STRUCTURE) का  
धारित प्रार्थी का ही होगा।

इस महाशिव का अनुमोदन किसी भी भाँति प्रस्तावना, भूमि, प्रकाशक के प्रति स्वाधिन का प्रत्यक्ष सम्बन्ध न था। आचार्य और तर्क इससे किमी के स्वाधिन सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित हैं।

शांतिदास स्वयं की विकलांग छात्रियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावे।

THESE PLANS ARE VALID  
UNTIL SEVEN YEARS  
FROM DATE OF ISSUE.

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक चौड़ाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक भूमिगत एवं निर्माण मूल कामों के लिए अधिक खर्च समान अधिकारी द्वारा निर्धारित प्राधिकृत प्राप्ति पत्र (NOC) प्राप्त करने के लिए आवश्यक कांवेयिंग में बाधा पड़ेगी। प्रस्तावित छात्रों की जागीर अधिवास होगी। अतः यह स्वीकृति 15 मीटर चौड़ाई तक ही मान्य होगी।

**Rain Water Harvesting Units  
Shall be Provided as per Rules**

अनुमोदित / निम्नवत्

Assistant Architect  
Rajasthan Housing Board  
JAIPUR

उप नगर निगोजय  
राजस्थान आवासन मण्डल  
जयपुर

वरिष्ठ नगर निर्याजक  
राजस्थान आवासन मण्डल  
जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक  
राजस्थान आवासन मण्डल  
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं. १०  
दि. १.८.२०१५ के द्वारा जारी किया गया।

UPPER BASEMENT FLOOR PLAN

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT  
"THE ELEGANCE AT P.NO.111/148 - 161  
PRATAP NAGAR, SANGANER JAIPUR

**ideas**

- ARCHITECTURE
- URBAN PLANNING
- PROJECT MANAGEMENT

124, HIMMAT NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR  
PHONE : 0141-2706227

NORTH POINT 

[illegible]

CYANENDRA SINGH SHEKHAWAT  
Architect  
CA/97/22030

ARCHITECTS

## NOTE:-

1. FIRE N.O.C. ISSUE DATE: 6/5/14  
LETTER NO. F9(85) आ.फा./ न नि ज /14/273
2. AIRPORT N.O.C. ISSUE DATE: 28/2/14  
LETTER NO. AA/N.O.C/2013/320/4875-80

प्लानिंग कोड का उपयोग केवल  
भाषित हेतु किया जावेगा।

हिसाब से, नकली एवं अन्य गलतियां से  
बचाव के लिए कोड का उपयोग केवल  
भाषित हेतु किया जावेगा।

आवश्यक होने पर अनुमति भवन  
में, नकली एवं अन्य गलतियां से  
बचाव के लिए कोड का उपयोग केवल  
भाषित हेतु किया जावेगा।

एक प्लानिंग कोड का उपयोग केवल  
भाषित हेतु किया जावेगा।

THESE PLANS ARE VALID  
UP TO SEVEN YEARS  
FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units  
Shall be Provided as per Rules

अनुमोदित/नियमित

Assistant Architect  
Rajasthan Housing Board  
JAIPUR

उप निर्माण निरीक्षक  
राजस्थान आवासन मण्डल  
जयपुर

वरिष्ठ निर्माण निरीक्षक  
राजस्थान आवासन मण्डल  
जयपुर

अतिरिक्त मुख्य निर्माण निरीक्षक  
राजस्थान आवासन मण्डल  
जयपुर

यह प्लानिंग पत्र सं. 98  
दि. 25.2.2014 के द्वारा जारी किया गया।

DRAWING TITLE:-

STILT FLOOR PLAN

SITE ADDRESS:-

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT  
"THE ELEGANCE AT P.NO.111/148 - 161  
PRATAP NAGAR, SANGANER JAIPUR

PROJECT CONSULTANTS:



124, HIMMAT NAGAR, POKH ROAD, JAIPUR  
PHONE: 6141-2706227

SCALE 1:100

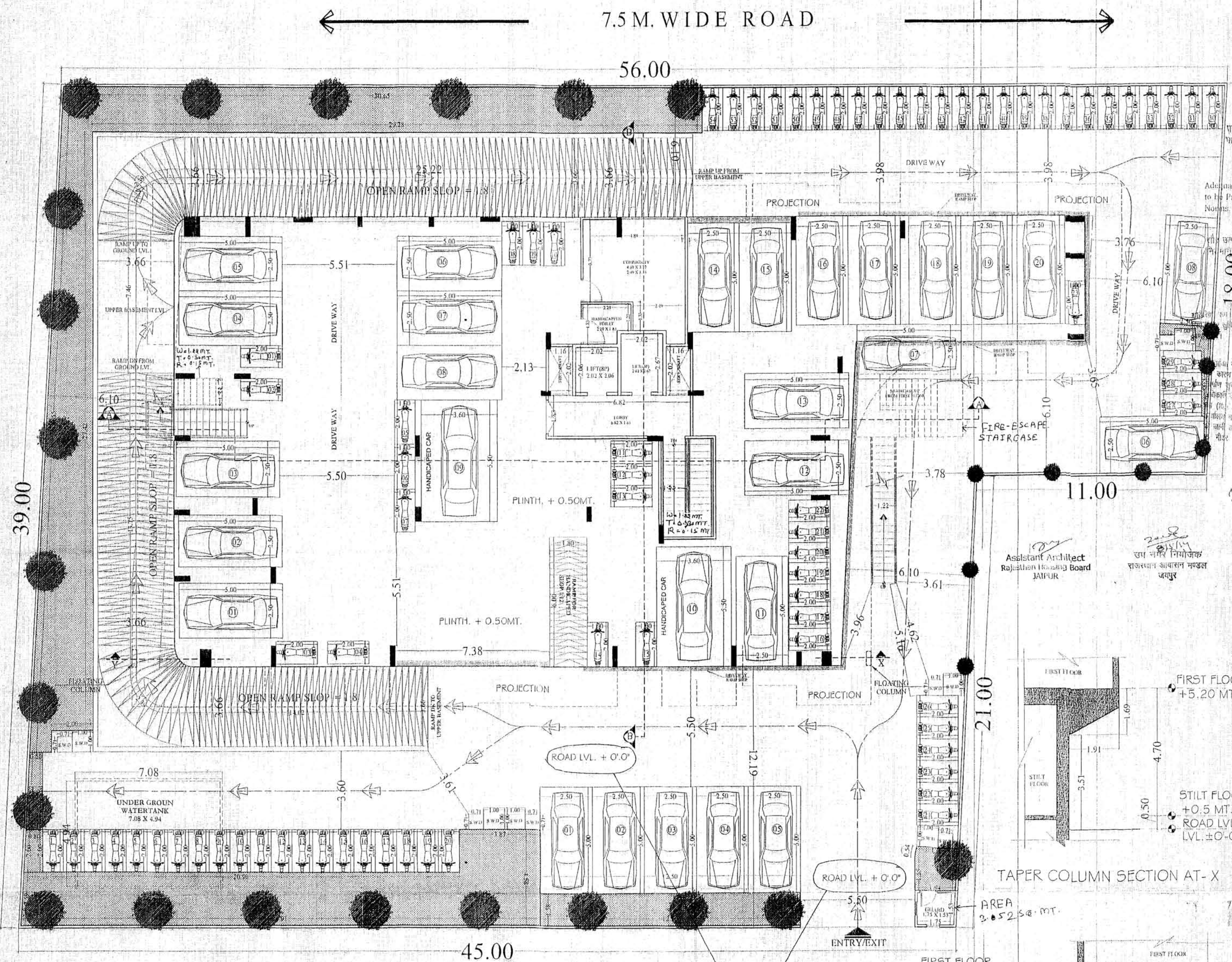
NORTH POINT



OWNER

ARCHITECT

946  
GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT  
Architect  
CA/97/14



## STILT FLOOR PLAN

60 M. WIDE ROAD

TAPER COLUMN SECTION AT-X

AREA 3.052 sq. mt.

FIRST FLOOR  
+5.20 MT.STILT FLOOR  
+0.5 MT.  
ROAD LVL.  
LVL. ±0'-0"

TAPER COLUMN SECTION AT-Y

RAMP

NOTE:-  
1. FIRE N.O.C ISSUE VIDE DATE 6/5/14  
LETTER NO. F9(85) आ.फा./ न नि ज /14/273  
2. AIRPORT N.O.C ISSUE VIDE DATE 28/2/14  
LETTER NO. AA1/N.O.C/2013/320/4875-80

प्राथमिक क्षेत्र का उपयोग केवल  
पार्किंग हेतु किया जायेगा।

किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक  
उपयोग के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी।

Required Light and Ventilation  
to be Provided as per N. B. C.  
Norms.

जहाँ जहाँ भी आवश्यक हो  
संरचनात्मक (STRUCTURE) का  
संशोधन प्रयोग किया जायेगा।

संरचनात्मक से वाणी रख करने का  
नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

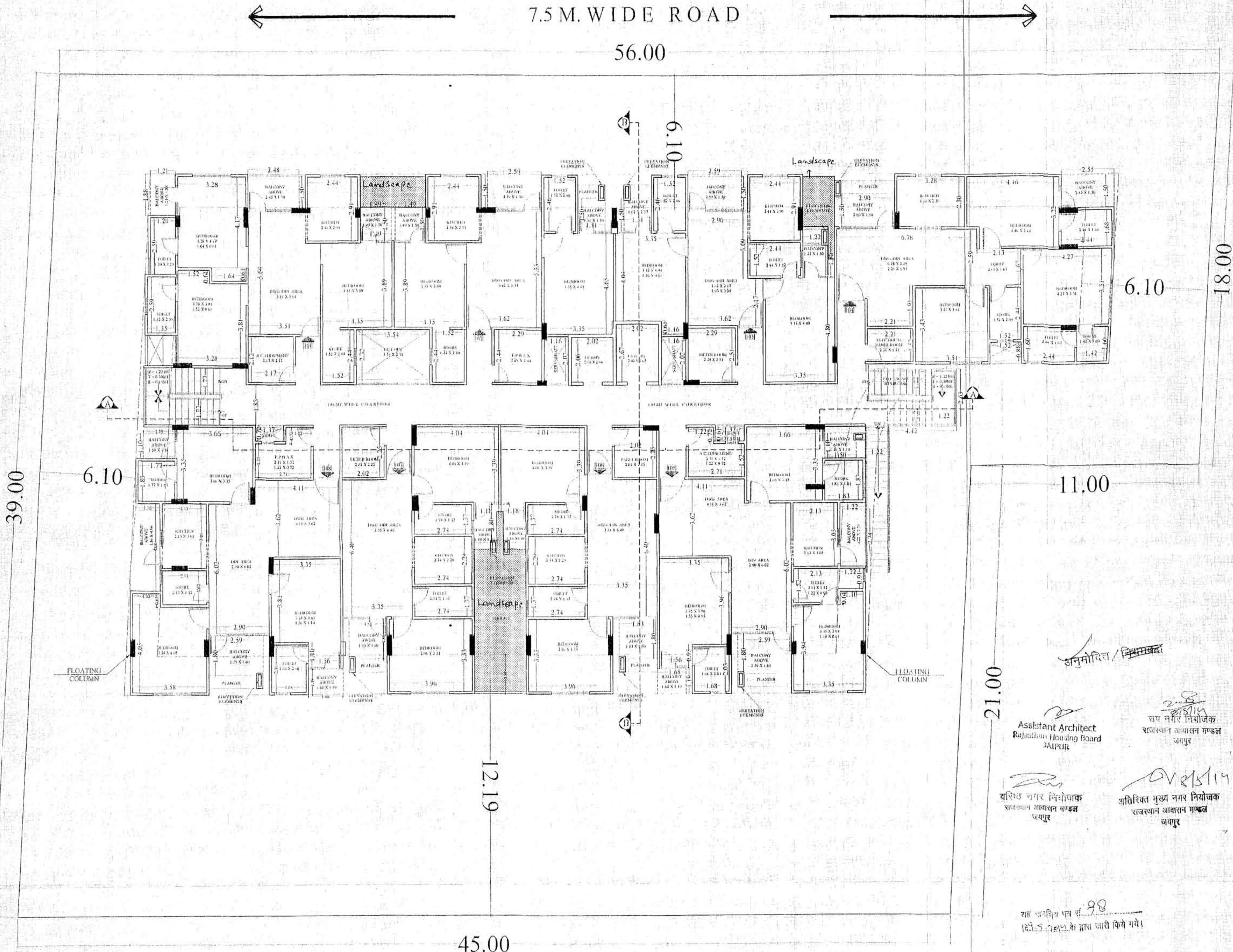
इस योजना में अनुमानित रूप से  
प्रस्तावित की गई है कि यह संरचनात्मक  
का प्रयोग के लिए अनुमति दी जायेगी  
और संशोधन प्रयोग किया जायेगा।

संरचनात्मक से वाणी रख करने का  
नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

THESE PLANS ARE VALID  
ONLY UPTO SEVEN YEARS  
FROM DATE OF ISSUE.

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने  
के कारण 15 मीटर से अधिक ऊँचाई पर  
निर्माण शुरू करने के लिए  
आवश्यक है कि  
संरचनात्मक का प्रयोग के लिए  
अनुमति दी जायेगी और संशोधन  
प्रयोग किया जायेगा।

Rain Water Harvesting Units  
Shall be Provided as per Rules



60 M. WIDE ROAD  
FIRST FLOOR PLAN

अनुमोदित / प्रमाणित  
Assistant Architect  
Rajasthan Housing Board  
JAIPUR  
वरिष्ठ नगर नियोजक  
राजस्थान आवासन मण्डल  
जायपुर  
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक  
राजस्थान आवासन मण्डल  
जायपुर  
राह प्रदर्शित पत्र सं. 98  
18.05.2014 के द्वारा जारी किया गया।

DRAWING TITLE:-  
FIRST FLOOR PLAN  
SITE ADDRESS:-  
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT  
"THE ELEGANCE AT P.NO.111/148 - 161  
PRATAP NAGAR, SANGANER JAIPUR  
PROJECT CONSULTANT:-  
ideas  
ARCHITECTURE  
URBAN PLANNING  
PROJECT MANAGEMENT  
124, HUMMAT NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR  
PHONE: 0141-2706237  
SCALE 1:100  
NORTH POINT  
OWNER  
ARCHITECT

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल  
पार्किंग हेतु किया जावेगा।

विद्युत संचालित एल.एड. बल्ब प्रयोग करने पर  
मैग्नेटिक फील्ड का स्तर इच्छित के स्तर का  
होगा।

Adequate Light and Ventilation  
is Provided as per N. B. C.

जहाँ जहाँ नये अनुमोदित मानचित्र  
या दस्तावेज नये भवन निर्माण की  
समस्या (STRUCTURE) का  
प्रभाव पड़ेगा।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का  
नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाग  
प्रमाण पत्र के बिना स्वतंत्रता का  
प्रमाण पत्र के बिना स्वतंत्रता का  
प्रमाण पत्र के बिना स्वतंत्रता का  
प्रमाण पत्र के बिना स्वतंत्रता का

यहाँ से निकलने वाले पानी को  
नहीं छेड़ना चाहिए।

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने  
के कारण 15 मीटर से अधिक मॉडेल पर  
निर्माण शुरू करने से पूर्व प्राप्ति के लिए  
अनुमोदन पत्र (NOC) प्राप्त करना  
पड़ (NOC) प्राप्त करना  
कार्यालय में जाकर (NOC) प्राप्त करना  
की जागी बर्तन करेगी। अन्ततः यह स्वीकृति  
15 मीटर ऊँचाई तक ही होगी।

THESE PLANS ARE VALID  
ONLY UP TO SEVEN YEARS  
FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units  
Shall be Provided as per Rules

अनुमोदित / प्रमाणित

NOTE:-  
1. FIRE N.O.C. ISSUE VIDE DATE 6/5/14  
LETTER NO. F9(85) आ.फा./ न न ज /14/273

2. AIRPORT N.O.C. ISSUE VIDE DATE-28/2/14  
LETTER NO. AA1/N.O.C/2013/320/4875-80

Assistant Architect  
Rajasthan Housing Board  
JAIPUR

सुप नगर नियोजक  
राजस्थान आवासन मण्डल  
जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक  
राजस्थान आवासन मण्डल  
जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक  
राजस्थान आवासन मण्डल  
जयपुर

2ND TO 12 TH FLOOR PLAN

TERRACE FLOOR PLAN

DRAWING TITLE:-  
SECOND TO 12 TH FLOOR PLAN  
TERRACE FLOOR PLAN

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT  
"THE ELEGANCE AT P.NO.111/148 - 161  
PRATAP NAGAR, SANGANER JAIPUR



14, BHIMNATH NAGAR, TOWN ROAD, JAIPUR  
PHONE - 0141-2796277

SCALE 1:100 NORTH POINT

OWNER ARCHITECT

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT  
Architect  
CA/97122030

OWNER ARCHITECT

NOTE:-

1. FIRE N.O.C ISSUE VIDE DATE 6/5/14  
LETTER NO. F9(85) आ.फा. न नि ज 14/273

2. AIRPORT N.O.C ISSUE VIDE DATE-28/2/14  
LETTER NO. AA/P.N.O.C/2013/320/4875-80

निम्न सेना प्रमुखों एवं जहाँ जहाँ निवास सेनाएँ  
नैतिक विचारों का आग शब्दों के उपयोग के  
अनुसार होगी

Adequate Light and Ventilation  
to be Provided as per N. B. C.  
Norms.

“जारी किये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भूतन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्राप्ति का ही होगा।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

हमारे समाज में जिनके पास किसी भी भाति प्रमाण नहीं है, वे प्रति स्वामित्व का प्रमाण देने के लिए जायगा और नहीं हरासे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी से प्रभावित होगे।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावे।

THESE PLANS ARE VALID  
ONLY UP TO SEVEN YEARS  
FROM DATE OF ISSUE.

प्रस्तावित नवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक गतिशील पर निर्भर गुरुत्व बल (NDC) प्रस्तुत होना संभव है। अतः यह देखीकृति 15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

**Rain Water Harvesting Units**  
Shall be Provided as per Rules

अनुमोदित / ~~निष्पन्न~~

Assistant Architect  
Rajasthan Housing Board  
JAIPUR

815115  
उप निरीक्षक  
राजस्थान आवारन मण्डल  
जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर निगोजव  
राजस्थान आवासन मण्डल  
जयपूर

DRAWING TITLE: SECTION

SITE ADDRESS:

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT  
"THE ELEGANCE AT P.NO.111/148 - 161  
PRATAP NAGAR, SANGANER JAIPUR

### PHASE-TRANSITIONS



124 THINMATTING, TONE

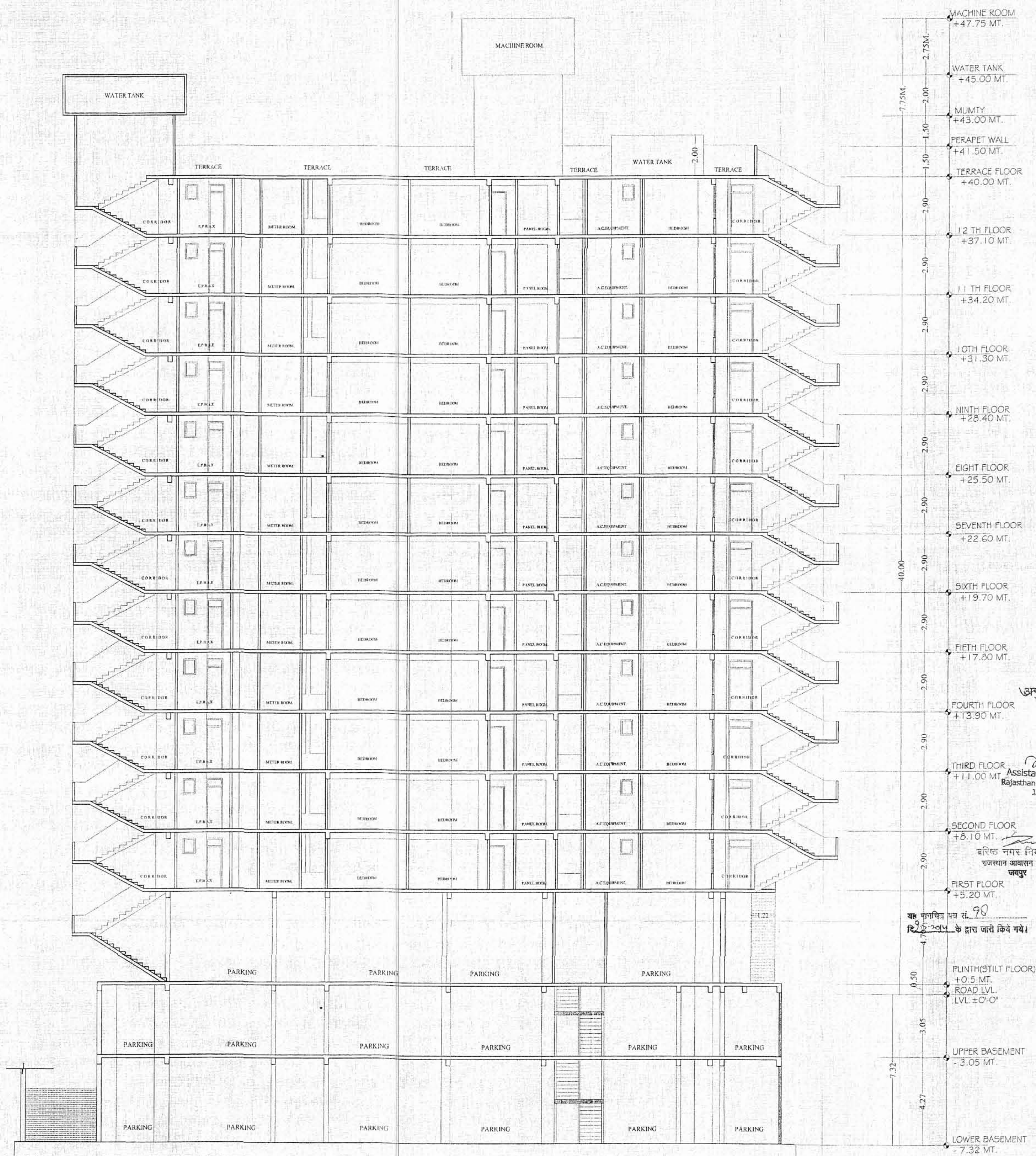
SCALE 1:100

NORTH POINT

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT  
Architect  
C-67/22030

OWNER

ARCHITECT



## SECTION - A'-A

## SECTIONS

1. FIRE N.O.C ISSUE VIDE DATE 6/5/14  
LETTER NO. F9(85) आ.फा./ न नि ज /14/273

THESE PLACES ARE VALID  
ONLY UP TO SEVEN YEARS  
FROM DATE OF ISSUE.

## SECTIONS

ARCHITECT



ARCHITECT



NOTE:-  
1. FIRE N.O.C ISSUE VIDE DATE 6/5/14  
LETTER NO. F9(85) आ.फा./ न नि ज /14/273  
2. AIRPORT N.O.C ISSUE VIDE DATE:28/2/14  
LETTER NO. AA/N.O.C/2013/320/4875-80

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल  
पार्किंग हेतु किया जाएगा।

विद्युत रोशनी, नलकरी एवं जल गत निकाल रोशनी  
नैसर्गिक विलिखन बोर्ड और इन्डिया के चक्का के  
अनुसार होना।

Adequate Light and Ventilation  
to be Provided as per N. B. C.  
Norms.

जहाँ किये गये अनुमति प्राप्त  
हो वहाँ नये प्रवेश निर्माण को  
संरचना (STRUCTURE) का  
संगठन करनी को ही होगा।

इस भवनिक का अनुमति पत्र भी मांति  
प्रस्तुत करने, प्रमाणित हो जाने स्वतंत्र का  
प्रमाण प्रमाणित मान्य प्रमाणित और नहीं  
इससे किसी भी स्थिति में संशयित प्रमाणित प्रमाणित  
ही प्रमाणित होना।

PLANS ARE VALID  
UP TO SEVEN YEARS  
FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units  
Shall be Provided as per Rules

अनुमोदित/निर्माण

Assistant Architect  
Rajasthan Housing Board  
Jaipur

उप निर्माण  
राजस्थान आवासन निकाय  
जयपुर

वर्षा नगर निर्माण  
राजस्थान आवासन निकाय  
जयपुर

DRAWING TITLE:-  
ELEVATIONS

SITE ADDRESS:-  
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT  
THE ELEGANCE AT P.NO.111/148 - 161  
PRATAP NAGAR, SANGANER JAIPUR

PROJECT CONSULTANTS:



174, HIMMAT NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR  
PHONE - 0141-2760227

SCALE 1:100

NORTH POINT S W  
N E

94/2  
GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT  
Architect  
CA/9722030

OWNER

ARCHITECT

REAR SIDE - ELEVATION

LEFT SIDE - ELEVATION